

Office of the District Basic Education Officer BHADOHI

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **GURUKULAM SHIKSHAN SANSTHAN JUNIOR HIGH SCHOOL** ,NANVAGPUR JAKHAW is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School(class 1 to

8). The Recognition number alloted to GURUKULAM SHIKSHAN SANSTHAN JUNIOR HIGH SCHOOL is **E/UPS/07/MARCH2021.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	<u>28-12-2022</u> (DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary, Primary and Junior School
5.Recognition No.	

DATE:- 28-12-2022

PLACE:- BHADOHI

District Basic Education Officer

Note : This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही।

पत्रांकः मान्यता//5380-87

सेवा में,

प्रबन्धक, गुरूकुलम शिक्षण संस्थान पू०मा०वि० ननवगपुर जखॉव ज्ञानपुर जनपद–भदोही

/2020-21/दिनांक 25मार्च 2021

विषयः—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय,

6-

आपके आवेदन पत्र दिनांक:- 30.09.2020 के कम में मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय के कम में मै जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही, गुरूकुलम शिक्षण संस्थान पू०मा0वि० ननवगपुर जखॉव ज्ञानपुरजनपद-भदोही को 01 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के जूनियर हाईस्कूल (जूनियर स्तर की 6-8 कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:--

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3– विद्यालय कक्षा 6 में (या यथास्थिति, कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा।

- (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
- (iii) जूनियर हाईस्कूल शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

1083

- (iv) जूनियर हाईस्कूल शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

Indient2-pc/e/CLIENT2/MY DOCUMENT/334.5.2019 04.07.2020 00000

- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नही करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रय का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। 7-8-Ani Arran 2. अंतिम

म क	नराक्षण के समय रिपाट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार छ	201 01	वर्ग मीटर	
	Gui that and	391.91	2	
	क्रीड़ा स्थल		e	
	कक्षाओं की संख्या–		06	
	प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष-		吉	
	बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय-		吉 05	
	पेयजल सुविधा–		हैण्डपम्प सबमर्सिबल	
	मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई-		-	
	बाधारहित पहच–		हॉ	
	अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणो / पुस्तकात	लय की ज	उपलब्धता–है	-
			A TILL	7

- कक्षाए विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त 9-नही चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा 吉」
- 12- विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुचाने के लिए संचालित नही किया जायेगा।
- 13- विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या:-E/UPS/07/March 2021 कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये ।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

N

- 18- प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे विद्यालय को मान्यता दी गई हो उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
- 19- मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाद्यकृम ये न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाद्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
- 20- सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
- 21- भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 22- विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नही किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

\\Client2-pc\e\CLIENT2\MY DOCUMENT\ उडर.5.2019 04.07.2020 0 कवब

1084

विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया–कलापों के प्रयोग में भी नही लिया जायेगा।

- 24 विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिह्न (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन मं रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- 25- विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 26– बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मॉगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 27- विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। भवदीय

(अमित कुमार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , भारदोही।

पृ०सं०:- मान्यता / / २०२०-२१ / तद्दिनांकें प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. जिलाधिकारी महोदय भदोही।
- 2. मुख्य विकास अधिकारी भदोही।
- 3. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।
- 4. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- 5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
- 6. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक/पिछडा वर्ग/जिला विकलांग अधिकारी भदोही।
- वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय / नगर शिक्षा अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी) भदोही।
- 8. कार्यालय प्रति।

(अमित कुमार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी \Lambda भदोही।

\\Client2-pc\c\CLIENT2\MY DOCUMENT\ उडव.5.2019 04.07.2020 0 केवब

1085